न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 70/2019
GCMS NO. : 2019/00076

-:: प्रार्थीगण ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. प्रभुराम पुत्र बंशी जी 2. गजेन्द्र पुत्र बद्रीराम जातियान- हरीजन, निवासीगण- रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।		1. शांतिदेवी पत्नी छोटाराम 2. राजूराम पुत्र छोटाराम 3. राकेशकुमार पुत्र छोटाराम 4. सुरेसी पुत्री छोटाराम सभी जातियान- हरीजन, निवासीगण- रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0। 5. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 27/05/2019**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक: 28/02/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय में सायलान् एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2706/6 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि आज से करीब 50 वर्ष पूर्व सायलान् एवं गैरसायलान् के दादा छैला जी को आवंटन हुई थी जो आवंटन राज्य सरकार के नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिये दी निशूल्क भूमि आवंटन अधिनियम के तहत आवंटन हुई थी एवं बाद मे उपरोक्त वर्णित आराजी पर सायलान् एवं गैरसायलान् के दादा स्वर्गीय छैला जी काबिज होकर काश्त करते थे तथा उन्हें [illegible] खातेदारी अधिकार मिले तथा उनके फौत होने के पश्चात उनके बेटा व पोता काश्त करते चले आ रहे है। कुल मिलाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर सायलान् एवं गैरसायलान् का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

माफिक हक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है। स्वर्गीय छैलाजी के पांच पुत्र थे तथा स्वर्गीय छैलाजी ने अपने जीवनकाल मे अपने पुत्रो मे पारिवारिक बंट्वाडा कर दिया जिसमे उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी जो सायलान् के पिता एवं गैरसायलान् के पिता के हक हिस्से मे रखी एवं अन्यत्र जो कृषि भूमि थी वो अपने दुसरे पुत्रो के हक हिस्से मे दे दी तो इस तरह से वादग्रस्त आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् के पिता के हक हिस्से मे रही एवं उसी अनुसार सायलान् एवं गैरसायलान् मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे आवंटन के अनुसार छैलाजी की कृषि भूमि गैरसायलान् के पिता छोटूजी जो कि परिवार मे कर्ता खानदान थे एवं गांव में ही रहते थे इसलिए उनके नाम छैलाजी ने राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवा दिया। परन्तु हक अधिकार उनके दुसरे पुत्र बंशीलाल व बदी जी का भी रखा एवं अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते थे एवं जब कभी इस कृषि भूमि को किसी अन्य को काश्त हेतू देते तो जो आपसी लिखित होती उसमे सायलान् एवं गैरसायलान् सहमति से आपसी लिखित कर कृषि भूमि देते जिसके सबूत मे दिनांक 19/05/2004 को अमराराम पुत्र बचनाजी को उक्त कृषि भूमि को बोने के लिये दी तब सायलान् एवं गैरसायलान् ने संयुक्त रूप से लिखित इकरारनामा तकमील किया एवं उसके पहले दिनांक 16/04/2003 को मानाराम पुत्र शिवराम को भी काश्त के लिये उक्त कृषि भूमि दी तब भी सायलान् एवं गैरसायलान् ने संयुक्त रूप से लिखित कर इकरारनामा तकमील किया तो इससे भी स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् की सामलाती थी एवं सामलाती होने से संयुक्त रूप से काश्त के लिये देने के पश्चात जो आमदनी होती वह सायलान् एवं गैरसायलान् अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कर लेते तो इनत माम तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् एवं गैरसायलान् का हक हिस्सा व अधिकार है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी गैरसायलान् के पिता का अकेले का नाम इन्द्राज हो जाने से उनके फौत होने के पश्चात गैरसायलान् का नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन नाम इन्द्राज हुआ तब सायलान् ने गैरसायलान् से निवेदन किया कि उनका भी नाम इस आराजी मे इन्द्राज करवाया जावे तब गैरसायलान् टालमटोल करते रहे एवं दिनांक 03/04/2019 को गैरसायलान् स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये एवं मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायलान् ने सायलान् को हिस्सा देने से स्पष्ट मना कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी मे गैरसायलान् के साथ सायलान् का भी हक हिस्सा व अधिकार [illegible] उपरोक्त वर्णित आराजी मे सायलान् संख्या 1 का 1/3 हिस्सा [illegible] का 1/3 हिस्सा एवं गैरसायलान् का 1/3 हिस्सा आवंटन होने से लेकर चला आ रहा है परन्तु मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायलान् की नियत में खोट आ गयी एवं अब यह लोग सायलान् के हक हिस्से को हडप करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

चाहते है तथा गलत तरीके से मात्र अकेले का नाम इन्द्राज हो जाने से गैरसायलान् उक्त आराजी को आगे रहन बेचान बक्सीस हस्तान्तरण करना चाहते हैं जबकि गैरसायलान् को भलीभांति यह जानकारी है कि उपरोक्त वर्णित आराजी मे सायलान् का हक हिस्सा अधिकार भी निहित है परन्तु फिर भी सायलान् को उनके साम्पैतिक हक अधिकारों से वंचित रखने की नियत से उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है। इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का व वाद घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। वादग्रस्त आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् की पुश्तैनी आराजी है एवं मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है परन्तु गैरसायलान् का राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित हो जाने से अब गैरसायलान् उक्त आराजी को हडप करने पर आमादा है एवं सायलान् को उनकी पुश्तैनी आराजी से वंचित रखने की नियत से इस आराजी को किसी अन्य को बेचान करने पर आमादा है और यदि गैरसायलान् मात्र रेकर्ड मे नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को बेचान करते है तो मौके पर लडाई झगडे होगे विवाद बढेगा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी। इन तमाम विवादों से बचने के लिये सायलान् द्वारा यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर एवं शपथपत्र से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान् के पक्ष मे बखुबी साबित है और यदि राजस्व रेकर्ड मे मात्र नाम इन्दाज होने के आधार पर गैरसायनान् उक्त आराजी का रहन बेचान बक्सीस व हस्तान्तरण करते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पक्ष है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि सरहद मौजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2706/6 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम मे सायलान् अपने हिस्से की भूमि मे काश्त के मुतालिक कुल कार्य खडाई बुवाई कटाई आदि करे तो उसमे गैरसायलान् उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस व हस्तान्तरण नही करे अर्थात राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे इस हेतू गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वादपत्र के अंतिम निर्णय तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible]कर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसा[illegible] हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान् संख्या 01 से [illegible] प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 01 से 04 [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है इस पद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2706/06 रकवा 10 बीघा की भूमि के जवाब देहन्दागण रेकर्ड खातेदारी काबिज खातेदारी काश्त कार है तथा उक्त भूमि पूर्व में जवाब देहन्दागण के पिता एवं पति छोटाराम वल्द छेलाराम जी हरिजन को राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन होने से आंवटित की गई थी। माफिक आंवटन पत्र के अनुसार ही राजस्व अधिकारीयो ने मौके पर अधिकारीयों ने जाकर आंवटी छोटाराम वल्द छेलाराम जी को कब्जा सुपुर्द किया था। इस प्रकार मौके पर छोटाराम जी जीवनकाल तक उनका कब्जा रहा एवं उनके देहान्त के उपरान्त इस भूमि पर जवाब देहन्दागण का कब्जा एवं हक अधिकार है। इस प्रकार से इस पद में वर्णित भूमि पर न तो सायलान का कभी कोई कब्जा रहा है न ही सायलान के पूर्वज इस भूमि पर कभी काबिज रहे है। इस प्रकार से सायलान का इस पद में वर्णित भूमि से किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध नही रहा है । मौके पर जवाब देहन्दागण के कब्जे एवं हक अधिकार से सम्बन्धित फसल बोने के राजुरामफोटोग्राफ भी इस जवाब के साथ पेश है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि छेलाराम जी को आंवटित नही होकर गैरसायलान के पति व पिता छोटाराम को आंवटित हुई थी तथा इस भूमि पर छेलाराम जी का न तो कोई कब्जा रहा न ही हक अधिकार रहा था। इस प्रकार से सायलान ने भी इस पद में अपना कब्जा व हक अधिकार होना झूठा उल्लेखित किया है जो अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 मे वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 2706/06 रकबा 10 बीघा की भूमि राज्य सरकार द्वारा छोटाराम पुत्र छेलाराम को ही आंवटित हुई तो इस भूमि पर छोटाराम के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या भाईयो का कब्जा एवं हक अधिकार होने के कथन कतई गलत है। छेलाराम जी के दिगर चार पुत्रो से भी इस भूमि का कोई सम्बन्ध नही है। न ही उनका कभी कोई कब्जा व हक अधिकार रहा है। बल्कि इस भूमि पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा एंव हक अधिकार है। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 मे वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 2706/06 रकबा 10 बीघा की भूमि राज्य सरकार द्वारा छोटाराम पुत्र छेलाराम को ही आंवटित हुई तो इस भूमि पर छोटाराम के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या भाईयो का कब्जा एवं हक अधिकार होने के कथन कतई गलत है। छेलाराम जी के दिगर चार पुत्रों से भी इस भूमि का कोई सम्बन्ध नही है। न ही उनका कभी कोई कब्जा व हक अधिकार रहा है, बल्कि इस भूमि पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा एंव हक अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है। साथ ही इस पद में वर्णित अनुसार भूमि बंशीलाल व बद्रीजी का कब्जा होने के कथन भी कतई गलत है। इसके अलावा दिनांक 19.05.2004 को अमराराम द्वारा दिनांक 16.04.2003 को मानाराम द्वारा लिखित इकरारनामा न तो तहरीर व तकमील किया गया था न ही ऐरो किसी दस्तावेजात से सायलान को इस जायदाद में कोई स्वामित्व व हक अधिकार मिलते है। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि छेलाराम जी को आंवटित नही होकर गैरसायलान के पति व पिता छोटाराम को आंवटित हुई थी तथा इस भूमि पर छेलाराम जी का न तो कोई कब्जा रहा न ही हक अधिकार रहा था। साथ ही इस पद में वर्णित यह कथन सही है कि छोटाराम जी देहान्त उपरान्त उक्त भूमि जवाब देहन्दागण को उत्तराधिकार में मिली है। इस प्रकार से सायलान ने भी इस पद में अपना कब्जा व हक अधिकार होना झूठा उल्लेखित किया है जो अस्वीकार है। साथ ही सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से दिनांक 03.04.2019 का उल्लेख भी प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठा उल्लेख किया है। इस वाद में वर्णित भूमि में सायलान या उनके पिता जी का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व हक अधिकार न तो कभी रहा है। न ही वर्तमान में है इसलिए सायलान किसी भी प्रकार कि घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि गैरसायलान के पति व पिता छोटाराम को आंवटित हुई थी तथा इस भूमि पर छेलाराम जी का न तो कोई कब्जा रहा न ही हक अधिकार रहा था। इस प्रकार से सायलान ने भी इस पद में अपना कब्जा व हक अधिकार होना झूठा उल्लेखित किया है जो अस्वीकार है। उक्त इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में एक मात्र हक व अधिकार जवाब देहन्दागण का ही है। जिसके बाबत मौके पर भी न तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद है न ही मल्टीप्लीसीटी अ०फ प्रोसेडिंग्स होने का अंदेशा है। सायलान इस भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेवूनियाद होने से अस्वीकार है। समस्त तथ्यो व परिस्थितियों व दस्तावेजा के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविध का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नही होकर जवाब देहन्दागण के पक्ष में है । यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दागण की होगी। इसलिए भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। अतः जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

*(01) **प्रथम दृष्ट्या मामला** :-* प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2706/6 रकबा 10-00 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। जो 50 वर्ष पूर्व उभयपक्षकारान् के दादा छैलाजी को आंवटित हुई थी। स्व. छैलाजी के पांच पुत्र थे जिनके मध्य छैलाजी ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक बंटवाड़ा कर दिया था जिसके अनुरूप उभयपक्षकारान् मौके पर काबिज है। छैलाजी के पुत्र छोटूजी जो अप्रार्थीगण के पिता है, कर्ता खानदान थे। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि इनके नाम दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता एवं पति छोटाराम वल्द छैलाराम को आवंटित की गई थी। शेष तथ्य बेबूनियाद है। राजस्व अधिकारियो द्वारा आंवटी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया, जो निरन्तर कायम है। अतः वादग्रस्त आराजी न तो छैलाजी को कभी आवंटित हुई न ही यह पैतृक पुश्तैनी आराजी है, बल्कि यह छोटारामजी को आवंटित उनकी व्यक्तिगत सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक एवं अधिकार निहित नही है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित हो ही नही सकता।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। उक्त आराजी पूर्व में छोटा पुत्र छैला गैर खातेदारी दर्ज रही है। इससे स्पष्ट है कि यह आराजी छोटा को आवंटित की गई थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है, प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हुआ है, प्रार्थीगण यह साबित [illegible] असफल रहे है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में किस रूप में [illegible] है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण खातेदारान् के [illegible] निहित होना साबित होता है तथा अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

से इन्हे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः उपर्युक्त बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे है, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested